संख्या-   /2017/   /पॉच-6-2016-112(जी.)/13

प्रेषक

अवधेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ ।

चिकित्सा अनुभाग-6   लखनऊ : दिनांक 12 जनवरी, 2017

विषय:-वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद सुल्तानपुर के जयसिंहपुर में 100 शैया संयुक्त चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु चालू अंश के अन्तर्गत रू0-500.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-10718/17फ/नि0नि0अ0/2016-17, दिनांक 16.11.2016 तथा शासनादेश संख्या-2/2017/2800/पांच-6-2016-112(जी.)/13 दिनांक 02.01.2017 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 02.01.2017 द्वारा जनपद सुल्तानपुर के जयसिंहपुर में 100 शैया संयुक्त चिकित्सालय के भवन निर्माण कार्य के लिये उक्त शासनादेश दिनांक 02.01.17 द्वारा रू0-2695.59 लाख की स्वीकृति निर्गत की गयी, लेकिन आपके प्रस्तावानुसार प्रश्नगत निर्माण कार्य के लिये रू0-5.00 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति निर्गत नहीं की गयी ।

2- अतएव आपके प्रस्तावानुसार जनपद सुल्तानपुर के जयसिंहपुर में 100 शैया संयुक्त चिकित्सालय के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के लिये उक्त शासनादेश दिनांक 02.01.17 द्वारा स्वीकृत लागत की सीमा के अन्तर्गत रू0-500.00 लाख (रूपया पॉच करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति चालू अंश के रूप में निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.16 तथा शासनादेश संख्या-2/2017/2800/पांच-6-2016-112(जी.)/13 दिनांक 02.01.2017 में उल्लिखित दिशा निर्देशों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा उक्त धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाक खाते में कदापि नहीं रखी जायेगी।

(3) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु निर्गत की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

(4) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य किसी अन्य योजना में शामिल नहीं है और इस हेतु किसी अन्य स्रोत से वित्त पोषण नहीं प्राप्त है अथवा किया जायेगा।

(5) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृतियों की पुनरावृत्ति न हो।

3- उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-32 लेखा शीर्षक-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-110-अस्पताल तथा औषधालय-15-100 शैयया युक्त चिकित्सालयों की स्थापना- 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- उक्त स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.15 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत की जा रही है।

भवदीय

(अवधेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

संख्या- 38 /2017/ 92 (1)/पाँच-6-2016, तददिनांक

प्रतिलिप निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ ।
4- अपर निदेशक (नियोजन/बजट) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उ0प्र0, लखनऊ।
5- संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ।
6- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, सुल्तानपुर ।
7- अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।
8- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सुल्तानपुर ।
9- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, 100 शैयया संयुक्त चिकित्सालय, जयसिंहपुर, सुल्तानपुर।
10-प्रबन्ध निदेशक/परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, सुल्तानपुर।
11- प्रबन्ध निदेशक/परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, लखनऊ ।
12- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/ नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन ।
13- कार्यालय आदेश पुस्तिका।
14- प्रशासकीय स्वीकृति की एक प्रति मूल पत्रावली में।
15-विभागीय वेब मास्टर।

आज्ञा से

(राम नगीना मौर्य)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।